

रहस्यीयता

12-10-98

Request 84

पंजीकृत

पत्रांक: 5215 / वे.प्र.उ.न्या.वि.क/बि.आर.ए.नं-51

17/12/98

(M) 8-10-98

188

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
शिविर कार्यालय, कोशीगार निदेशालय, 20000,
नवीन कोशीगार भवन, लखनऊ रोड, कोशीगार

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,

कलकत्ता

Reg No. 16981
File No. 26
Serial No. 24-10-98

दिनांक: 25-9-98

D.R.(M)
Foreign Information
May file?

विषय:- दिनांक 1-1-96 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान हेतु श्री सपत्नित सेवा पुस्तिका का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त पद मापदण्ड निर्धारण अनुभाग के शासनादेश संख्या प.मा.नि.-356/दस-22/एस/97, दिनांक 23-12-97 एवं प.मा.नि.-357/दस-21/एस/97, दिनांक 31-12-97 व सपत्नित आदेश संख्या प.मा.नि./दस-93-44/एस/98, दिनांक 8-5-98 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

12/12

S.O. Admin. A-1/H

D.R.(M) 9.10.98

उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय की विधि संख्या सी-945/सी.एफ.-8/1997, दिनांक 16-10-97 की संलग्न कृपया पर अंकित उ.प्र.उ.न्या.वि.क सेवा के अधिकारी श्री ए.के.ए. बहादुर अहमद को निहित पद के साधारण वेतनमान रु 2200-4000 के विपरीत पानि वर्ग की नियमित संतोषजनक सेवा के प्रति दिनांक 18-4-97 से वेतनमान रु 3000-4500 अनुमानित है। दिनांक 18-4-97 से उन्हें रु 3000-4500 वेतनमान अनुमानित किये जाने के फलस्वरूप आपने अपने पत्र संख्या 119/2/1997 दिनांक 22-1-98 के द्वारा श्री ए.के.ए. बहादुर की सेवा पुस्तिका/स.पी.सी. इस दफ्तर को प्रेषित की थी। इस तिथि के पूर्व आपके स्तर एवं आप द्वारा उनकी सेवा का निरंतरण किया जाता रहा है। शासनादेश संख्या प.मा.नि.-356/दस-22/एस/97, दिनांक 23-12-97 के प्रस्तर-4 के अनुसार दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण और भुगतान साधारण वेतनमान के अन्तर्गत आपको सपत्नित किया जाना है।

श्री ए.के.ए. बहादुर नाम के न्यायाधिकार अधिकारी इंडेक्स रखे नहीं हैं।

18

अतः श्री ए.के.ए. बहादुर की सेवा पुस्तिका एवं उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण प्रकाश में इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि वेतन

DRB)

S.O. Ad. CH)

2 पर

9 OCT 1998 S.O. Admin(A)

Remarks: File of Sri Haskobu Bahadur is not available in Admin (M) Secy 17-12-98

Please put up with the loose file of Sri Haskobu Bahadur. If no such file is posted in the name of Haskobu Bahadur then it should also be intimated to this office.

Request 04

निर्धारण संबंधी शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संबंधित अधिकारी की सहमति प्राप्त कर वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान की कार्यवाही करने का कट करें ।

संलग्न:- सेवा पुस्तिका एवं विकल्प पत्र ।

भवदीय,

१ तापस बनर्जी १
संयुक्त निदेशक।

संख्या व दिनांक उपर्युक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री - हरकेश बहादुर - अवर न्यायाधीश (अ.प. 131)
2. निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।

अलीगढ़
[Signature]
१ तापस बनर्जी १
संयुक्त निदेशक ।

हरिश्चन्द्र

*.
The misc. File 6
sr. Harbosh Kumar is
being sent herewith
22/17-12-92

To,

The Joint Director (Treasuries)

Camp office,

New Treasury Building, 1st floor,

Kutchery Road,

Allahabad.

Request by

no. 193 / D-2562/Admn CA, dated 7/11, 99

Sub: - Transmission of original service book in respect of Sri Harkesh Bahadur, Additional civil Judge (J.S. Dev.) Aligarh for fixation of pay and payment of salary from 1.1.98 in the revised pay scale.

Sir,

I am directed to refer to your endorsement no. 5215/ve. Pa. Paa. / Judicial / E.R.P. - 51 dated 25.9.98 addressed to District Judge, Aligarh and copy endorsed to this court, on the above subject, ~~I am directed to~~ and to say that as per record of the court no officer named Sri Harkesh Bahadur is posted in U.P. Nyayek Seva. However Sri Harkesh Kumar is posted as Additional civil Judge (J.S. Dev.) Aligarh.

I am, therefore, to request you kindly to clarify the actual position about the name of the concerned officer, to the court as well as other concerned authorities, at an early date.

Yours faithfully

Deputy Registrar

no. 194 / D-2562/Admn CA, dated 7/11, 99
copy forwarded for information and necessary action to District Judge, Aligarh.

Deputy Registrar

D.O.R. (M)
May issue?

20/12/98

R Kumar
27/12/98

Se. Ad A1

Issue.

27/12

28